निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 467) पटना, बुधवार, 20 मार्च 2019

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना
4 जनवरी 2019

सं० 1588—खगड़िया जिलान्तर्गत ग्राम+पो0—मेहसौड़ी, थाना—मुफफसिल स्थित **श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी,** बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक ठाकुरवाड़ी है, जिसकी निबंधन सं0—2389 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु, पूर्व न्यास समिति को भंग कर पर्षदीय पत्रांक—2142, दिनांक—21.09.2004 द्वारा महंथ जानकी बल्लभ दास को अधिनियम की धारा—33 के तहत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था। चुकिं अधिनियम में संशोधन पश्चात् अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल मात्र एक वर्ष निर्धारित है। अतएवं पर्षदीय पत्रांक—2526, दिनांक 23.12.2016 द्वारा अंचल पदाधिकारी, खगड़िया से स्वच्छ छवि के हिन्दू सज्जनों के नाम पता की माँग की गयी। इसी बीच महंथ जानकी बल्लभ दास ने दिनांक—04.09.2017 को पर्षद में उपस्थित होकर आवेदन दिये हैं, कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे संरक्षण में स्थानीय लोग न्यास का कार्य संभाल रहे हैं। संचिका से भी स्पष्ट है, कि महंथ की ओर से स्थानीय ग्रामीण श्री नित्यानंद चौधरी द्वारा न्यास की आय—व्यय की विवरणी एवं पर्षद शुल्क जमा किया गया है।

अंचल पदाधिकारी, खगड़िया का प्रतिवेदन न्यास समिति के गठन हेतु 11 सदस्यों की सूची पृष्ट सं० 219 के साथ प्राप्त हुआ है, जिसका सत्यापन स्थानीय थाना से कराया गया। थाना का प्रतिवेदन पृष्ट सं० 219 प्र० भी ''सभी व्यक्ति स्वच्छ छवि के लोग हैं'' के संबंध में प्राप्त है। पर्षद द्वारा कराये गये जाँच में भी उपर्युक्त बातों की पुष्टि की गयी है।

उपरोक्त परिस्थिति में महंथ जानकी बल्लभ दास मन्दिर में पूजा—पाठ का कार्य सम्पादित करेंगे तथा महंथ के लौकिक कार्यो में सहायता हेतु निम्नलिखित 11 सदस्यों की समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 8 (क) सह पठित धारा— 32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगड़िया जिलान्तर्गत ग्राम+पो0—मेहसौड़ी, थाना—मुफफसिल स्थित **श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी** के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा

सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी,** ग्राम+पो0–मेहसौड़ी, थाना–मुफफसिल, जिला–खगड़िया योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम '' **श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी** न्याससमिति, ग्राम+पो0–मेहसौड़ी, थाना–मुफफसिल, जिला–खगड़िया होगा'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, तीर्थ–यात्री एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए **प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय–व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।**
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि, यदि कोई हो तो, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1.	श्री ब्रह्मदेव ठाकुर, पिता–स्व0 दुखा ठा0, ग्राम–मेहसौड़ी, जिला–खगड़िया	–	अध्यक्ष
2.	श्री नित्यानंद चौधरी, पिता–स्व0 राम स्नेही चौधरी, ,, ,,	–	सचिव
3.	श्री विशुनदेव राम, पिता–श्री नंदु राम, ,, ,,	–	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र महतो, पिता–स्व0 रामफल महातों, ,, ,,	–	सदस्य
5.	श्री विजय कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजदेव प्र0 सिंह ,, ,,	–	सदस्य
6.	श्री नागेश्वर चौधरी, पिता–स्व0 सुखदेव चौधरी ,, ,,	–	सदस्य
7.	श्री श्याम सुन्दर कुमार, पिता–स्व0 कपिलदेव महोतो ,, ,,	–	सदस्य
8.	श्री सुनील चौधरी, पिता–स्व0 योगेन्द्र चौधरी ,, ,,	–	सदस्य
9.	श्री नंदकिशोर चौधरी, पिता–स्व0 ब्रह्मदेव चौधरी ,, ,,	–	सदस्य
10.	श्री सागर तांती, पिता–स्व0 उपेन्द्र चौधरी ,, ,,	–	सदस्य
11.	श्री अनिल चौधरी, पिता–स्व0 राम स्नेही चौधरी ,, ,,	–	सदस्य

उपरोक्त न्यास समिति अपनी प्रथम बैठक में गठित समिति सदस्यों में से कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद में अनुमोदन हेतु भेजेगी।

12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाशन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
अखिलेश कुमार जैन,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 467-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in